(d) the steps so far taken for implementation of the proposal and whether any expert cell has been set up for planning of the salt manufacturing project there ; and

(e) if so, facts thereabout including other details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY KUMARI ABHA MAITI) : (a) to (e) : The State Government of West Bengal have recently consrtuted a Study Team consisting of representatives of different Departments including a representative of the Salt Commissioner for exploring the possibility of salt extraction in Contai Area of West Bengal. The report of the Study Team is awaited.

International Gangs Operating under the Name of Anand Marg and Proutist Universal

531. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Shri P.R. Sarkar the Chief of the Anand Marg and the Secretary of this organisation condemned the violent activities of some secret international gangs operating under the name of this organisation ; if so, facts thereabout ;

(b) whether Government have succeeded to unearth the conspiracies and identify the gangs involved with them in different parts of the World who are working under the name of Anand Marg or Proutist Universal ; and

(c) if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Government has seen some press reports in which Shri P.R. Sarkar and the Acting General Secretary of the Anand Marg Pracharak Sangh have disclaimed any connection with the Universal Proutist Revolutionary Federation and disowned responsibility for the acts of violence being indulged in the name of that organisation. The Acting General Secretary has also written a letter to the Home Minister in this behalf. No report of Shri P.R. Sarkar or the Acting General Secretary of the Anand Marg Pracharak Sangh having condemned these acts of violence has come to the Government's notice. However, information available with the Government does not substantiate the claim of the leaders of the Anand Marg that they have no association with the Universal Proutist Revolutionary Federation.

(b) and (c) : The Universal Proutist Revolutionary Federation has claimed responsibility for the violent incidents in different countries. These incidents are under investigation by local authorities and the result of these investigations will reveal the persons/organisations responsible for perpetration of these crimes.

Naxalite Prisoners

532. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the State-wise break-up of the Naxalitles (i) convicts and (ii) under-trials released after Lok Sabha and Assembly elections, and (iii) the Naxalite prisoners still in prison ;

(b) how many of the life-term Naxalite prisoners have been released ;

(c) whether many cases instituted on charge of violent activities like political killing against Naxalites and other political elements have been withdrawn by various State Governments ;

(d) if so, facts thereabout ; and

(e) whether release of such political prisoners and undertrials has created any aggravation in the law and order situation in the ountry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

हरिजनों पर अत्याचार के मामले

533. श्री राम लाल राही :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
डा० हेनरी आस्टिन :
श्री एम० कल्याणसुन्दरम :
श्री वयालार रवि :
श्री चित्त बसु :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री राम प्रसाद देशमुख :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों के दौरान पूरे देश में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक अपराधवार, महीनेवार, राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी मौतें हुई ;

(ग) क्या इन अत्याचारों के लिए सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(घ) इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने और समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख): अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों का निपटान कानून के संबंधित उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार की कानून और व्यवस्था संबंधी एजेंसी का काम है। राज्य सरकारों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**अन्यालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT 1059/77]

(ग) और (घ) : हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के अपराधों के लिए जिम्मेदार कारणों में जमीने, मजदूरी, फसलों की कटाई के झगड़े, सामाजिक आर्थिक तनाव आदि शामिल है। जबकि कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है, तो भी केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाए रखती है। भूमि सुधार और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अन्य उपाय शीघ्रता से करने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनको सभी सम्भव सुरक्षा दी जाए, प्रशासनिक मशीनरी को मजबत करने के बारे में राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न सुझाव भेजे गए हैं। इस बारे में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी राज्य के मुख्य मंत्रियों को अर्धशासकीय पत्र लिखे हैं।

छूआछूत कानूनों का प्रवर्तन

534. **श्री राम लाल राही** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके क्षेत्रों में छुआछुत मिटाने हेतु बनें कानून पूरी तरह से लागू नहीं ; कठोर कार्रवाई करने का है ; और (ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाई की जायेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख): 1976 में व्यापक रूप में यथासंशोधित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 छुआछूत की विभिन्न कार्रवाईयों के लिए दंड निर्धारित करने वाला केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रभाव पूर्ण ढंगसे प्राथमिकता के आधार पर अमल करने के लिए अनुरोध किया गया है। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।